[2018] 3 S.C.R. 490

जलेन्द्र पाधियारी

बनाम

प्रगति चौधरी

(सिविल अपील संख्या 3876 वर्ष 2018)

अप्रैल 17, 2018

[आर. के. अग्रवाल व अभय मनोहर सापरे, माननीय न्यायमूर्तिगण]

निर्णय/आदेश- तर्कपूर्ण आदेश- कुटुंब न्यायालय ने अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादिनी-पत्नी के विवाह को भंग करके विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की - न्यायालय ने अपीलकर्ता-पति को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता और 10,000/- रुपये के वाद व्यय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया - आदेश में अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश के हिस्से से व्यथित अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील योजित किया, जिसे निरस्त कर दिया गया - क्या उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया और इस तरह कुटुंब न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि यह प्रतिवादिनी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने से संबंधित है - माना गया: - कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन पर, यह दर्शित है कि जहां तक प्रतिवादिनी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने का संबंध है दोनों न्यायालय तथ्यात्मक विवरण और विधिक विवाद पर अपने न्यायिक मस्तिष्क को लागू करने में विफल रहीं, - दोनों न्यायालयों ने स्थायी गुजारा भत्ता देने के प्रश्न पर पक्षों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक कथन का न ही उल्लेख किया और बिना किसी चर्चा के, की पत्नी की वित्तीय आय की क्षमता, जैसे भौतिक मुद्दों पर बिना किसी चर्चा, मूल्यांकन, तर्क व तथ्यात्मक विवरण के पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया- निर्देश विधिक रूप से पूरी तरह से अस्थिर - न तो कुटुंब न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने इसमें शामिल मुद्दों पर लागू विधिक सिद्धांतों पर विचार किया और गूढ़ और तर्कहीन आदेश पारित किए।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित किया: 1. कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन मात्र से यह पता चलता है कि जहां तक प्रतिवादी (पत्नी) को स्थायी गुजारा भत्ता देने का संबंध है, दोनों न्यायालय तथ्यात्मक और विधिक विवाद पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने में विफल रहीं। दोनों न्यायालयों ने स्थायी गुजारा भत्ता देने के प्रश्न पर पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक कथन का भी उल्लेख नहीं किया और भौतिक मुद्दों पर कोई चर्चा, मूल्यांकन, तर्क और स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया, जैसे कि पति की गुजारा भत्ता देने की वित्तीय कमाई की क्षमता और पत्नी की वित्तीय कमाई की क्षमता पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।- निर्देश विधिक रूप से पूरी तरह से अस्थिर है। [पैरा 15]

2. बार-बार, इस न्यायालय ने न्यायालयों पर प्रत्येक मामले में तर्कसंगत आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें पक्षकारों के मामले के स्पष्ट तथ्यों का वर्णन,

मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियां, मामले में उत्पन्न होने वाले भौतिक मुद्दे शामिल मुद्दों पर लागू विधिक सिद्धांत और सभी मामलों पर साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए। [पैरा 16]

3. न तो कुटुंब न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने इन विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा और गूढ़ और तर्कहीन आदेश पारित किए। इस तरह के आदेश निस्संदेह पक्षकारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करते हैं और इस मामले में, इसने अपीलकर्ता (पति) के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया क्योंकि उच्च न्यायालय और कुटुंब न्यायालय के आदेशों ने उसे अपनी पत्नी को देय 15,00,000/- रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करने के कारणों को जानने से वंचित कर दिया। [पैरा 17]

4. जिस तरह से दोनों न्यायालयों ने आदेश पारित किया, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार मामले को उपरोक्त द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार नए सिरे से स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान की मात्रा तय करने के लिए कुटुंब न्यायालय को भेज दिया जाता है। [पैरा 18, 19]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3876 वर्ष 2018

एमएटीए संख्या 113 वर्ष 2014 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 03.11.2014 के निर्णय और आदेश से

कुमार गौरव, बी. एन. दुबे, रॉबिन खोखर, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण। .

राधा श्याम जेना, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सापरे 1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील 2014 के एम.ए.टी.ए. संख्या 113 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, भुवनेश्वर द्वारा पारित दिनांक 03.11.2014 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दाखिले के चरण में अपीलकर्ता द्वारा योजित अपील को निरस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, कुटुंब न्यायालय द्वारा 2011 के सिविल वाद संख्या 24 में पारित दिनांक 17.09.2014 के आदेश को बरकरार रखा गया।

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण सूचक में निहित हैं और यह नीचे दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. अपीलकर्ता वादी है जबकि प्रतिवादी उस सिविल वाद में प्रतिवादी है जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है। विवाद पति और पत्नी के बीच है और यह पत्नी को देय स्थायी गुजारा भत्ता देने से संबंधित है।

5. अपीलकर्ता-पति ने न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भुवनेश्वर के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 13 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत प्रतिवादिनी-पत्नी के विरुद्ध एक याचिका योजित की, जिसमें परित्याग और क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन की मांग की गई। प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान योजित किया और अपीलकर्ता के दावे की सामग्री से इनकार किया। तर्कों और पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर, कुटुंब न्यायाधीश ने दिनांक 17.09.2014 के आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया और विवाह को भंग करके विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की। पारिवारिक न्यायाधीश ने अपीलकर्ता (पति)

को प्रतिवादी (पत्नी) को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता और 10,000/- रुपये के वाद व्यय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

6. अपीलकर्ता (पति) ने कुटुंब न्यायालय के आदेश के उस हिस्से से व्यथित महसूस किया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को प्रतिवादी (पत्नी) को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जिसने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील योजित की। दिनांक 03.11.2014 के निर्णय/डिक्री द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया और कुटुंब न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

7. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ता (पति) ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील योजित की है।

8. संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ता की अपील को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त था जिससे कुटुंब न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया जो की क्योंकि यह पत्नी (प्रतिवादी) को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने से संबंधित था।

9. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री कुमार गौरव और प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री राधा श्याम जेना को सुना।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने और मामले की पत्रवाली के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने, आक्षेपित आदेश के साथ-साथ कुटुंब न्यायालय के आदेश को स्थायी गुजारा भत्ता देने के हद तक रद्द करने के लिए विवश हैं विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर पत्नी को देय स्थायी गुजारा भत्ता देने के प्रश्न पर पुनः निर्णय लेने के लिए मामले को कुटुंब न्यायालय में भेजा जाता है।

11. कुटुंब न्यायालय के आदेश का लागू हिस्सा निम्नानुसार है:

> **"याचिकाकर्ता की याचिका को याचिकाकर्ता के पक्ष में चुनौती देने की अनुमति दी जाती है। विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को डिक्री की तिथि से भंग घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता और 10,000/ रुपये का वाद खर्च देने का निर्देश दिया जाता है।"**
>
> **(बल दिया गया)**

12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आदेश निम्नानुसार है:

> **'पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोपों और दलीलों को देखने के बाद, जैसा कि विवादित निर्णय में दर्ज किया गया है, जिसे बहस के दौरान निरस्त नहीं किया जा सकता है, हमें कुटुंब न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में दी गई 15,00,000/- रुपये की राशि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। वर्तमान समय में, उक्त राशि पत्नी के लिए अपने पूरे जीवन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।**
>
> **चूंकि हमें अपील में कोई बल दृष्टिगत नहीं होता, इसलिए हम इसे दाखिले के ही चरण में निरस्त कर देते हैं।"**

13. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, जो अपीलकर्ता (पति) द्वारा इस अपील में इस न्यायालय में ले जाया गया था, में शामिल एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या कुटुंब न्यायालय द्वारा प्रतिवादी (पत्नी) को 15,00,000/- रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देना विधिक और तथ्यात्मक रूप से स्थिर रहने योग्य था।

14. जहां तक पति के पक्ष में विवाह-विच्छेद की डिक्री देने का संबंध है, इसे प्रतिवादी (पत्नी) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए इसे अंतिम रूप दिया गया।

15. हमारे विचार में, उपरोक्त उद्धृत कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि जहां तक प्रतिवादी (पत्नी) को स्थायी गुजारा भत्ता देने का संबंध है, दोनों न्यायालय तथ्यात्मक और विधिक विवाद पर अपना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करने में विफल रहे। दोनों न्यायालयों ने स्थायी गुजारा भत्ता देने के प्रश्न पर पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक कथन का भी उल्लेख नहीं किया और भौतिक मुद्दों पर कोई चर्चा, मूल्यांकन, तर्क और स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया, जैसे कि पति की गुजारा भत्ता देने की वित्तीय कमाई की क्षमता और पत्नी की वित्तीय कमाई की क्षमता, पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हमारी राय में, इस तरह की दिशा विधि में पूरी तरह से अस्थिर है।

16. इस न्यायालय ने बार-बार, न्यायालयों पर प्रत्येक मामले में तर्कसंगत आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें पक्षकारों के मामले के स्पष्ट तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियां, मामले में उत्पन्न होने वाले भौतिक मुद्दे शामिल मुद्दों पर लागू विधिक सिद्धांत और सभी मामलों पर साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए।

17. यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो कुटुंब न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने इन विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा और गूढ़ और तर्कहीन आदेश पारित किए। इस तरह के आदेश निस्संदेह पक्षकारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करते हैं और इस मामले में, इसने अपीलकर्ता (पति) के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया क्योंकि उच्च न्यायालय और कुटुंब न्यायालय के आदेशों ने उसे अपनी पत्नी को देय 15,00,000/- रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करने के कारणों को जानने से वंचित कर दिया।

18. हम उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसमें दोनों न्यायालयों ने आदेश पारित किया है जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को कुटुंब न्यायालय को सौंपने के लिए मजबूर किया है।

19. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम अपील स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश और कुटुंब न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं क्योंकि यह अपीलकर्ता (पति) द्वारा प्रतिवादी (पत्नी) को स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान के लिए 15,00,000/- रुपये तय करने से संबंधित है और हमारे द्वारा उपरोक्त किए गए टिप्पणियों और विधि के को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान की मात्रा तय करने के लिए मामले को कुटुंब न्यायालय को सौंप जाता है।

20. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने ऊपर उल्लिखित कारणों से मामले को कुटुंब न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाते समय विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से खुद को रोक लिया है। इसलिए, कुटुंब न्यायालय हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित

हुए बिना, विधि के अनुसार इस मुद्दे पर फैसला करेगा। यदि आवश्यक हो, तो कुटुंब न्यायालय पक्षकारों को स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान की मात्रा प्रश्न पर तर्कों में संशोधन करने और साक्ष्य जोड़ने की स्वतंत्रता भी देगा।

21. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश और कुटुंब न्यायालय के आदेश जहां तक यह 15,00,000/- रुपये के स्थायी गुजारा भत्ता के निर्धारण से संबंधित है, अनुपालन के लिए उपर्युक्त निर्देशों के साथ निरस्त किया जाता है।

22. हम कुटुंब न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह अंतिम सीमा के रूप में छह महीने के भीतर मामले का फैसला करे।

23. मामले के निस्तारण तक, अपीलकर्ता (पति) मासिक गुजारा भत्ते का भुगतान करना जारी रखेगा, जो कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, नियमित रूप से प्रतिवादी को दिया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, मासिक गुजारा भत्ते का भुगतान कुटुंब न्यायालय द्वारा किए गए अंतिम निर्धारण के अधीन होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय